

कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़(छ0ग0)

(निविदा सूचना)

क्रमांक 11130 / चक्र.समा. / 2018


रायगढ़, दिनांक 05 जून, 2018

34वाँ चक्रधर समारोह-2018 का गरिमामयी आयोजन दिनांक 13 सितम्बर, 2018 से 22 सितम्बर, 2018 तक स्थानीय रामलीला मैदान में किया जा रहा है। समारोह में देश के ख्यातिलब्ध कलाकार शिरकत करेंगे। आयोजन अंतर्गत लाइट एवं साउण्ड सिस्टम हेतु निम्नानुसार सामाग्री की पूर्ति एवं शर्तों का पालन के साथ दिनांक 21 / 06 / 2018 के सायं 05.00 बजे तक बंद निविदा आमंत्रित की जाती है :-

सामाग्रियों की पूर्ति एवं शर्त :-

1. पण्डाल ग्राऊण्ड गेट में गुणवत्तायुक्त लाईट/झालर की व्यवस्था करना होगा।
2. स्टेज लाईट में गुणवत्तायुक्त L.E.D. पार, सिल्डबिंब, फांग मशीन, पॉवरपेज मिक्चर कम्पलीट स्टेज लाईट।
3. S.K.W. एमरजेन्सी जनरेटर (अच्छा गुणवत्तायुक्त) होना चाहिए।
4. गुणवत्तायुक्त कम्पलीट ट्रांसपोटिंग, साउण्ड टूल्स।
5. साउण्ड सिस्टम (लाईन अटेच) अंतर्गत गुणवत्तायुक्त :-
 - 1- VRX सीरिज JBL बाक्स
 - 2- SRX सीरिज JBL बाक्स
 - 3- साउण्ड क्राफ्ट तथा एलनहेल्थ मिक्चर आदि।
 - 4- Cordless
6. समय-समय पर मंच एवं आयोजन स्थल पर आवश्यकतानुसार विद्युत सामाग्रियाँ संबंधित फर्म द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
7. विद्युत संबंधित सामाग्रियों का जांच विद्युत सुरक्षा विभाग एवं पी.डब्ल्यू.डी (वि./या.) से जांच उपरांत O.K. रिपोर्ट देना होगा।
8. आयोजन के दौरान किसी प्रकार का कोई त्रुटियाँ/विद्युत दुर्घटना होने पर संबंधित फर्म जिम्मेदार होंगे।
9. संबंधित फर्म को इस समारोह या इसके समतुल्य शासकीय समारोह में कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
10. फर्म द्वारा दी गई दर समस्त करों सहित होनी चाहिए।
11. विगत 03 वर्षों का आयकर चूकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. पंजीकृत संस्था का न्यूनतम टर्न ओवर रू.15,00,000/- (पंद्रह लाख) मात्र, प्रति वर्ष होना चाहिए जो सी0ए0 द्वारा सर्टिफाईड हो।
13. समय-समय पर कलेक्टर महोदय, नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
14. कुश्ती/कबड्डी खेलकुद प्रतियोगिता स्थल पर आवश्यकतानुसार लाईट /साउण्ड की व्यवस्था संबंधित फर्म द्वारा की जावेगी।

उपरोक्तानुसार निविदा नोडल अधिकारी, चक्रधर समारोह-18 के नाम से बंद लिफाफा में जिला नजरात शाखा (कक्ष क्र0 47) में दिनांक 21/06/2018 तक उपलब्ध कराएंगे, तथा उसी दिन शाम 05.00 बजे समिति के सदस्य एवं निविदाकर्ता के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

(श्रीमती  आबिदी)

3/ कलेक्टर

रायगढ़ (छ0ग0)